रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 11, 2013/आश्विन 19, 1935
No. 517] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2013/ASVINA 19, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2013

परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) योजना, 2013

सा.का.नि. 684(अ).—केंद्र सरकार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 का एतद्द्वारा संशोधन करती है, अर्थात :-

1. इस स्कीम का नाम विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्त तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम, 2013 है।

2. यह स्कीम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू मानी जाएगी।

3. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत) योजना, 1993 में;

पैराग्राफ 3(1)(ख) में शब्दावली "वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्रों की निर्गमकर्ता असूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में एक साथ सूचीबद्ध किया जाना होगा" के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा -

"असूचीबद्ध कपंनियों को भारत में पूर्ववर्ती या अनुवर्ती सूचीयन की अपेक्षा के बगैर शुरू-शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए विदेश में पूंजी जुटाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जाएगी।

असूचीबद्ध कंपनियां आईओएससीओ/एफएटीएफ के अनुकर्त्ता कार्यक्षेत्रों या सेबी द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों में शामिल कार्यक्षेत्रों में एक्सचेंज पर ही विदेश में सूचीबद्ध की जाएंगी;

(क) कंपनियां विवरणी (रिटर्न) की प्रति जिसे वे उन्होंने प्रस्तावित एक्सचेंज/ विनियामकों को प्रस्तुत करती हैं, पीएमएलए के प्रयोजन के लिए सेबी में दायर करेंगी। वे विदेश में सूचीयन होने से पूर्व प्राथमिक एक्सचेंज की अपेक्षाओं के अतिरिक्त सेबी की प्रकटन अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेंगी;

(ख) विदेश में संसाधन जुटाते समय, सूचीयन कंपनी प्रवृत्त एफडीआई नीति का पूरी तरह से पालन करेगी;

(ग) विदेश में जुटाई गई पूंजी बकाया विदेशी ऋण को चुकाने के लिए अथवा विदेश परिचालनों जिसमें अधिग्रहणों के लिए परिचालन शामिल हैं, के लिए उपयोग की जा सकती है;

(घ) यदि जुटाई गई निधियों का विदेश में उपयोग नहीं किया जाता है जैसाकि ऊपर (घ) में निर्धारित किया गया है, तो ऐसी कंपनियां 15 दिनों के भीतर भारत को धन प्रेषित करेंगी और ऐसा धन आरबीआई द्वारा मान्यताप्राप्त केवल एडी श्रेणी के बैंकों में रखा जाएगा और इसका घरेलू स्तर पर प्रयोग किया जा सकेगा।

[फा. सं. 4/13/2012-ईसीबी]

शर्मिला चावलि, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

(1) मुख्य स्कीम अर्थात्; विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993, तारीख 12 नवम्बर, 1993/21 कार्तिक, 1915 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3-उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 700 (अ) तारीख 12 नवम्बर, 1993)।

(2) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम 1999 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 11 नवम्बर, 1999/20 कार्तिक, 1921 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 764 (अ) तारीख 10 नवम्बर, 1999)।

(3) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम 1999 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 19 जून, 2000/29 ज्येष्ठ 1922 को भारत के

राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 544 (अ) तारीख 16 जून, 2000)।

(4) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-।। 2000 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 14 नवम्बर, 2000/23 कार्तिक 1922 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 865 (अ) तारीख 10 नवम्बर, 2000)।

(5) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-III 2000 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 14 नवम्बर, 2000/23 कार्तिक 1922 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 866 (अ) तारीख 10 नवम्बर, 2000)।

(6) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम 2001 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 21 सितम्बर, 2001/30 भाद्र 1923 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 687 (अ) तारीख 18 सितम्बर, 2001)।

(7) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम 2002 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 13 फरवरी, 2002/24 माघ 1923 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 100 (अ) तारीख 13 फरवरी, 2002)।

(8) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-।। 2002 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 30 जुलाई, 2002/8 श्रावण 1924 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 -उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 532 (अ) तारीख 29 जुलाई, 2002)।

(9) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-।।। 2002 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 2 दिसम्बर, 2002/11 अग्रहण 1924 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 789 (अ) तारीख)।

(10) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-। 2005 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 31 अगस्त, 2005/9 भाद्र 1927 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 -उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 553 (अ) तारीख 31 अगस्त, 2005)।

(11) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-।। 2005 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 14 सितम्बर, 2005/23 भाद्र 1927 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 581 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2005)।

(12) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) (संशोधन) स्कीम-।। 2005 की मूल योजना में किया गया संशोधन तारीख 17 नवम्बर, 2005/26 कार्तिक 1927 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था (अधिसूचना सा.का.नि. सं. 671 (अ) तारीख 17 नवम्बर, 2005)।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)
Notification

New Delhi, 11th October , 2013

Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism)(Amendment) Scheme, 2013

G.S.R. 684(E).—Central Government hereby amend the Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) Scheme, 1993, namely:—

1. This Scheme may be called the issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 2013.
2. The Scheme shall be deemed to have come into force from the date of publication of Notification; and
3. In the Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) Scheme, 1993;

   In Paragraph 3(1)(B) the words "Unlisted Indian Companies Issuing Global Depository Receipts/Foreign Currency Convertible Bonds shall be required to simultaneously list in the Indian stock Exchanges(s)" shall be replaced by the following

"Unlisted companies shall be allowed to raise capital abroad without the requirement of prior or subsequent listing in India initially for a period of two years subject to the following conditions.

a. Unlisted companies shall list abroad only on exchanges in IOSCO/FATF compliant jurisdictions or those jurisdictions with which SEBI has signed bilateral agreements;
b. The Companies shall file a copy of the return which they submit to the proposed exchange/regulators also to SEBI for the purpose of PMLA. They shall comply with SEBI's disclosure requirements in addition to that of the primary exchange prior to the listing abroad;
c. While raising resources abroad, the listing company shall be fully compliant with the FDI Policy in force;
d. The capital raised abroad may be utilised for retiring outstanding overseas debt or for operations abroad including for acquisitions;
e. In case the funds raised are not utilised abroad as stipulated at d above, such companies shall remit the money back to India within 15 days and such money shall be parked only in AD category banks recognised by RBI and may be used domestically.

[F. No. 4/13/2012-ECB]

SHARMILA CHAVALY, Jt. Secy.

Foot Note :

(1). The Principal Scheme viz; Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) Scheme, 1993, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II - Section 3 - Sub-section (i) on the 12th November 1993/Kartika 21, 1915). (Notification GSR No.700(E) dated 12,h November, 1993).

(2). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 1999, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II - Section 3 - Sub-section (i) on the 11th November 1999/Kartika 20, 1921. (Notification GSR. N0.764(E), dated 10th November 1999).

(3). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 1999, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II - Section 3 - Sub-section (i) on the 19th June 2000/Jyaistha 29,1922. (Notification GSR. N0.544(E), dated 16m June 2000).

(4). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme-ll, 2000, was published In The Gazette Of India (Extraordinary) Under. Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 14th November, 2000/Kartika 23,1922. (Notification GSR. NO,865(E), dated 10th November 2000)

(5). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme-Ill, 2000, was published In The Gazette Of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 14th November, 2000/Kartika 23,1922. (Notification GSR. N0.866(E), dated 10,h November 2000).

(6). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 2001 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 21st September, 2001/Bhadra 30,1923. (Notification GSR. No.687(E), dated 18th September, 2001),

(7). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme, 2002 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 13th February, 2002/Magha 24,1923. (Notification GSR. No. 100(E), dated 13-02-2002),

(8). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme II, 2002 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 30th, July 2002/Sravana 8, 1924. (Notification GSR. No.532(E), dated 29-07¬2002).

(9). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme III, 2002 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub- section(i) on 2nd, December 2002/Agrahayana 11,1924. (Notification GSR. No.789(E), dated

(10). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme I, 2005 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 31st, August 2005/Bhadra 9, 1927. (Notification GSR. No.553(E), dated 31-08¬2005).

(11). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme II, 2005 was published in The Gazette

of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 14th, September 2005/Bhadra 23, 1927. (Notification GSR. No.581(E), dated 14-09-2005)

(12). Amendment in the Original Scheme carried in Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) (Amendment) Scheme II, 2005 was published in The Gazette of India (Extraordinary) Under Part-ll Section-3 Sub-section(i) on 17th, November 2005/Kartika 26, 1927. (Notification GSR. No.671(E), dated 17-11-2005)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054